प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 02.07.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मोटर (टिल्लू पम्प) चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को 04 माह का कारावास व कुल 5500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में चलाए जा रहे **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 02.07.2026 को मा0 न्यायालय- सी0जे0/एस0डी0/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 04 माह का कारावास व कुल 5500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री रामदरस यादव पुत्र स्व0 राम प्रति यादव निवासी नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 16.04.2018 को अभियुक्त विजयी पुत्र लहुरी निवासी अलीनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के पास से 01 अदद चोरी की मोटर (टिल्लू पम्प) बरामद करते हुए थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 40/2023 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना महुली से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्मस्वीकार के आधार पर धारा 380 भादवि में 04 माह का कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड व धारा 411 भादवि में 03 माह का कारावास व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। धारा 380 भादवि में अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा, धारा 411 भादवि के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री सर्व दवन सिंह** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा **श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 58/2026 धारा 109 बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता आफताब अहमद पुत्र कमरुद्दीन निवासी मेंहदूपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 02.07.2026 को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 05.06.2026 को वादी श्री अखिलेश गौड़ पुत्र सहदेव गौड़ निवासी मेंहदूपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर तहरीर दिया गया कि दिनाँक 04.06.2026 को जब प्रार्थी का पुत्र विक्रम गौड़ मोटरसाइकिल से अपने खेत से घर वापस आ रहे थे कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पुरानी रंजिस को लेकर योजना बनाकर जान से मारने के नियत से रास्ते में कमल मेडिकल स्टोर मेहदूपार के सामने गाड़ी रोककर अपने साथियों के साथ हाथ मे धारदार हथियार डण्डा लेकर बैठे थे। जैसे ही मेरा लड़का विक्रम गौड़ मोटर साइकिल से वहाँ पहुचा तो सभी लोगो ने घेर लिया और जान से मारने की नियत से अचानक हमला कर दिये, जिससे विक्रम के सिर में काफी गंभीर चोटे आयी तथा विक्रम वही मौके पर ही गिर गया तथा गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर मौके से भाग गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धर्मसिंहवा पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 02.07.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शिवकुमार, उ0नि0 श्री विनय कुमार राय, का0 ओमवीर सिंह, का0 दीपक खरवार, का0 प्रशान्त मिश्रा, म0का0 पूनम गोंड, म0का0 ममता यादव।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता बजरंगी पुत्र कोईल निवासी मेड़रापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री नन्दलाल, हे0का0 अरविन्द कुमार चौहान।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8292 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 8292 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत सोनौरा बाइपास के पास से कालर द्वारा कार द्वारा मोटरसाईकिल में ठोकर मार देने से दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01.तीरथ पुत्र चन्दू ग्राम जमुहरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निजी वाहन की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु सी0एच0सी मेंहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 मयंक शेखर, हो0गा0चा0 कृष्ण चन्द मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 200 वाहनों से 2,20,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 02.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 200 वाहनों से 2,20,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री दिलीप कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 347/2026 धारा 109, 115(2), 61(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता सोमनाथ पुत्र हरिभजन निवासी ग्राम औराडाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 02.07.2026 को मा0 न्यायालय गेट के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 30.05.2026 को वादी श्री शेषनाथ कसौधन पुत्र हरिभजन कसौधन निवासी औराडाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर तहरीर दिया गया कि दिनाँक 29.05.2026 को जब प्रार्थी का भाई मारखण्डे दुकानों पर सामान देकर घर वापस आ रहे थे कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पुरानी पट्टीदारी की रंजिस को लेकर योजना बनाकर जान से मारने के नियत से रास्ते मे ग्राम बजरा व तिघरा के बीच अपने साथियों के साथ हाथ मे कुल्हाड़ी लोहे का राड़ व डण्डा लेकर बैठे थे। जैसे ही मेरा भाई मारखण्डे मोटर साइकिल से वहाँ पहुचे सभी लोगो ने घेर लिया और जान से मारने की नियत से लोहे के राड व कुल्हाड़ी से अचानक हमला कर दिये, जिससे मारखण्डे के सिर में तथा पूरे शरीर मे काफी गंभीर चोटे आयी तथा मारखण्डे वही मौके पर ही गिर गये, मरा हुआ समझकर उपरोक्त लोग मौके से भाग गये। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 02.07.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

01- उ0नि0 श्री रवीन्द्र सिंह यादव, का0 रवि चौरसिया, का0 महेन्द्र चन्द्र गुप्ता, म0का0 नेहा ।

02- एसओजी प्रभारी श्री रजनीश राय, का0 शुभम कुमार।

03- सर्विलांस सेल का0 अमरजीत मौर्य।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 बाल अपचारी को 01 अदद अवैध चाकू के साथ किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 9/25 आर्म्स एक्ट में वांछित बाल अपचारी को आज दिनाँक 02.07.2026 को 01 अदद अवैध चाकू के साथ महादेवा रोड के पास से निरुद्ध किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 30.06.2026 को वादी श्री राबिचारे पुत्र बाबूलाल निवासी रेवटा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर तहरीर दिया गया कि दिनाँक 27.06.2026 को जब प्रार्थी का पुत्र अंकित कुमार घर के बगल कार्यक्रम में खाना खाने गया था कि बालअपचारी द्वारा जान से मारने के नियत से धारदार चाकू से उसके पेट में मारकर मौके से भाग गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त बाल अपचारी को आज दिनाँक 02.07.2026 को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।।

निरुद्ध करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संजय कुमार, उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सिंह, का0 सुर्यांश तिवारी, का0 अनुभव त्रिपाठी, का0 विकास साहनी।

महुली पुलिस की सक्रियता से क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 15000 रुपये की धनराशि कराई गई वापस

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में संचालित "क्रैक साइबर क्राइम अभियान" के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर ठगी के पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु प्रभावी कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना महुली पुलिस एवं साइबर हेल्प टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी प्रयास करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 15000 (पन्द्रह हजार रुपये) की धनराशि वापस कराई गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी सेराज अहमद पुत्र शरीफ अहमद ग्राम हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर दिनांक 30.06.2026 को फोन-पे से नाम सर्च कर पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे थे मोबाईल नम्बकर गलत होने से गलत खाते में पैसा चला गया, जिसकी शिकायत वादी द्वारा दिनांक 02.07.2026 को साईबर थाना महुली को सूचना देकर पुलिस से सहायता की मांग की गई।
शिकायत प्राप्त होने पर थाना महुली पर नियुक्त साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित बैंकिंग एवं तकनीकी माध्यमों से तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गई। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप आज दिनांक 02.07.2026 को पीड़ित के खाते में 15000 रुपये की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।
धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित एवं उसके परिजनों द्वारा संतकबीरनगर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
कार्यवाही करने वाली टीम- थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश पाण्डेय, साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, का0 अंकित पटेल, का0 सोनू यादव, का0 मनोज यादव, म0का0 कमलेश कुमारी।

जनपद पुलिस की अपील-
जनपद पुलिस समस्त नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, फोन कॉल, मैसेज अथवा ऑनलाइन ऑफर पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड, यूपीआई पिन अथवा अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
साइबर ठगी होने की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके।